संख्या :53/2023/ 769/12-5-2023-12-5099/54/2022(ई-आफिस)

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,
उत्तर प्रदेश।

3. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

4. आयुक्त,
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 16 जून, 2023

विषय: उत्तर प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे के क्रियान्वयन की तैयारियों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार द्वारा केंद्र पोषित डिजिटल मिशन ऑन एग्रीकल्चर घटक के अंतर्गत प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों के रियल टाइम सर्वेक्षण हेतु एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत जिओ-रेफ़रन्स आधारित फसल की फोटो के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्यक्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष में खरीफ-2023 से पायलट के रूप में संचालित किया जाना है। इस योजना के संचालन से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी:

i. विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना,
ii. बैंक द्वारा फसली ऋण का सत्यापन किया जाना,
iii. फसल बीमा प्रस्ताव का सत्यापन किया जाना,
iv. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन का खरीद,
v. सूखे के दौरान फसल नुकसान होने पर राहत/अनुदान का वितरण,
vi. राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान,
vii. किसानों को संस्थागत खरीदारों से जोड़ने का अवसर,
viii. कृषि इनपुट सप्लायर के साथ कृषकों को जोड़ने का अवसर,
ix. किसानों को लक्षित फसल सलाह प्रदान किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. एग्रीस्टैक एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी स्थापना के प्रारंभिक चरण में तीन बुनियादी रजिस्ट्री सम्मिलित हैं:-

i. अभिलेखों के डायनेमिक लिंकिंग के साथ किसानों का डेटाबेस (Farmer Registry)
ii. ग्राम मानचित्रों का भू-संदर्भ (Geo Referenced Village Map)
iii. जीआईएस बेस रियल टाइम क्रॉप सर्वे (Crop Sown Registry)

3. प्रदेश में भूलेख के अनुसार (Geo Referenced Village Map) के डिजिटाइजेशन एवं अंश निर्धारण का कार्य राजस्व परिषद द्वारा कराया जा रहा है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से (High Resolution Satellite Image) प्रदेश में 23 जनपदों में 90 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में (Geo Referenced Village Map) तैयार कर लिया गया है।

4. वर्ष 2023-24 में पाइलेट योजना के रूप में 19 जनपदों में पूर्ण रूप से तथा 56 जनपदों के 10 ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य संचालित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों में सभी जनपदों में समग्र रूप से योजना क्रियान्वित की जायेगी। आप को अवगत कराना है कि योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश के 19 जनपदों (भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती एवं हरदोई) में शत प्रतिशत जिओ रेफ़रन्स आधारित खेतों का खरीफ-2023 एवं रबी-2023-24 में खसरावार डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। शेष 56 जनपदों मे समस्त तहसीलों को सम्मिलित करते हुए 10-10 गांव चयनित किए जाएंगे, जिसमें पायलट आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जायेगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी:-

i. **सर्वेयर्स** - गुणवत्ता परक डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक सर्वेयर्स के द्वारा एक दिन में 50 सर्वे प्लॉट से ज्यादा सर्वे कार्य न कराया जाए। इस प्रकार यदि एक सर्वेयर द्वारा प्रतिदिन 50 सर्वेक्षण किया जाता है तो, एक माह में कुल 1500 सर्वे प्लॉट्स (गाटा) का सर्वेक्षण संभव हो सकेगा। अतः जनपद में सर्वेयर का चयन उपरोक्तानुसार मानक के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। सर्वेयर के रूप में जनपदों में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग सी का चयन किया जाएगा। उपरोक्त मानक के अनुरूप यदि अतिरिक्त सर्वेयर्स की आवश्यकता है तो उन्हें पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में संविदा के आधार पर रखे गए पंचायत सहायक एवं कृषि विभाग द्वारा रखे गए किसान मित्र को सम्मिलित किया जा सकता है। पंचायत सहायक अथवा किसान मित्र को चयन करते समय यह अनिवार्य रूप से देखा जाएगा कि उनके पास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपना एंड्राइड मोबाइल फ़ोन हो तथा मोबाइल एप का प्रयोग करने में सक्षम हो। प्रत्येक 20 सर्वेयर को सुपरवाइज करने हेतु एक समूह सृजित किया जाएगा जिसका तहसील के नाम के साथ क्रमवार कोड (उदाहरण - तहसील का नाम/ 01) आवंटित किया जाएगा, जिसके आधार पर सुपरवाइजर चयनित होंगे।

ii. सुपरवाइजर - प्रत्येक 20 सर्वेयर को सुपरवाइज करने हेतु तहसील के नाम के साथ क्रमवार कोड के आधार पर एक समूह के लिए एक सुपरवाइजर चयनित होंगे। सर्वेयर्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण को सुपरवाइज़ करने के लिए प्रत्येक 20 सर्वेयर्स पर एक सुपरवाइजर होगा। यह सुपरवाइजर राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक होंगे। यदि राजस्व निरीक्षकों की संख्या प्रयाप्त नहीं है तो कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक वर्ग बी को सुपरवाइजर के रूप में चयनित किया जाएगा।

iii. **वेरीफायर** - वेरीफाइर के रूप में राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार को चयन किया जाएगा यदि नायब तहसीलदारों की संख्या प्रयाप्त नहीं है तो कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक वर्ग ए को भी वेरीफाइर के रूप में चयनित किया जाएगा।

iv. ट्रेनर - उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु तहसील स्तर पर प्रति 20 सर्वेयर पर एक ट्रेनर का चयन किया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि सुपरवाइजर को प्रत्येक 20 सर्वेयर को प्रशिक्षण हेतु ट्रेनर के रूप में चयनित किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षक जनपद में डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेंगे एवं क्षेत्रीय कार्मिकों को डिजिटल क्रॉप सर्वे के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का यथाआवश्यक निस्तारण करेंगे।

v. **प्रोजेक्ट ऑफिसर -** डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु राज्य स्तर पर कृषि विभाग से अपर कृषि निदेशक प्रशासन एवं राजस्व विभाग से अपर आयुक्त, राजस्व परिषद, प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे। जनपदों में कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे।

vi. **राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना -** एग्री स्टैक परियोजना के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में अपर आयुक्त, राजस्व परिषद, कृषि निदेशक, निदेशक पंचायती राज, निदेशक उद्यान, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर एनआईसी (राजस्व परिषद), वित्त नियंत्रक कृषि विभाग एवं संयुक्त कृषि निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, डिजिटल एग्रीकल्चर को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यथावश्यक अधिकारियों का नामांकन कृषि निदेशक के स्तर से किया जा सकेगा। पीएमयू में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी तकनीकी स्टाफ को NICSI के माध्यम से संविदा पर नियुक्त किया जाएगा।

vii. **इंप्लीमेंटिंग कमेटी -** परियोजना को संचालित करने हेतु राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं तहसील स्तर पर एक इंप्लीमेंटिंग समिति का गठन किया गया है, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे को संचालित करने हेतु उत्तरदाई होगी।

viii. **हेल्प डेस्क की स्थापना -** खरीफ-2023 में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात क्षेत्रीय कार्मिकों को आने वाली विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर 10 सीटर हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जनपद में भी एक-एक हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा, जिससे सर्वेक्षण कार्य के समय आने वाली किसी भी समस्या का त्वरित निस्तारण संभव हो सके। विभिन्न स्तर पर हेल्पडेस्क को 15 जुलाई, 2023 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।

ix. **आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था -** वित्तीय 2023-24 खरीफ एवं रबी में किए जा रहे पायलट डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भारत सरकार के स्तर से किया जा रहा है। किंतु, आगामी वर्षों हेतु प्रदेश द्वारा यथावश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना आवश्यक होगा। तदक्रम में यह आवश्यक है कि एनआईसी के मार्गदर्शन में यथावश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को समय से स्थापित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

x. **सर्वेयर्स हेतु प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था -** योजना अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे करने वाले समस्त सर्वेयर्स (लेखपाल/तकनीकी सहायक वर्ग सी/पंचायत सहायक/किसान मित्र) को प्रति गाटा संख्या प्रति फसल प्रोत्साहन की धनराशि भी प्रस्तावित की गई है जो सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात अवगत कराया जाएगा।

5. डिजिटल क्राप सर्वे की तैयारियों हेतु निर्धारित समय सारणी:-

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	निर्धारित अवधि
1	सर्वेयेर, सुपरवाईजर, वेरीफायर एवं ट्रेनर का चयन	20 जून, 2023 तक
2	सर्वेयेर, सुपरवाईजर, वेरीफायर एवं ट्रेनर का प्रशिक्षण	15 जुलाई, 2023
3	हेल्प डेस्क की स्थापना	15 जुलाई, 2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तत्क्रम में अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा संलग्न प्रारूप पर कार्मिकों के विवरण की सूचना कृषि निदेशालय को ईमेल आईडी dirag@nic.in उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

i. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
ii. समस्त मंण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

डिजिटल क्रॉप सर्वेयेर हेतु चयनित कार्मिकों के विवरण का प्रारूप

सर्वेयर हेतु प्रारूप

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	सर्वेयेर का नाम	पद नाम	विभाग	मोबाइल नंबर	ई मेल आईडी	आवंटित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सुपरवाइज़र हेतु प्रारूप

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	सुपरवाइज़र का नाम	पद नाम	विभाग	मोबाइल नंबर	ई मेल आईडी	आवंटित सर्वेयेर के समूह का कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वेरीफायर हेतु प्रारूप

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	वेरीफायर का नाम	पद नाम	विभाग	मोबाइल नंबर	ई मेल आईडी	आवंटित सर्वेयेर के समूह का कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ट्रेनर हेतु प्रारूप

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ट्रेनर का नाम	पद नाम	विभाग	मोबाइल नंबर	ई मेल आईडी	आवंटित सर्वेयेर के समूह का कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।